न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2007–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2003 –पारित व्दारा –अपर आयुक्त, चम्बल संभाग,मुरैना – प्रकरण कमांक 113/2002–03 अपील

1– प्रेमनारायण 2– राजनारायण
3– जगदम्बा पुत्रगण बाबूराम
4– जगदीश 5– विश्वनाथ 6–राजेन्द्र
पुत्रगण श्रीकृष्ण 7– चौबे पुत्र बंशीधर
8– रामलखन 9– नाथूराम पुत्रगण
रामभरोसे निवासीगण ग्राम मनेपुरा
10– सीताराम पुत्र छत्रपाल लोधी
निवासी ग्राम भगतुआपुरा तहसील
अटेर जिला भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– राधेश्याम पुत्र बच्चीलाल
2– श्रीमती राजरानी पत्नि स्व.बच्चीलाल
3– श्रीमती उर्मिला पत्नि स्व. विजयराम
4– महिला मायादेवी 5– महिला मालती
दोनों पुत्रियां बच्चीलाल 6– श्रीकृष्ण
7– रामेश्वर दोनों पुत्रगण बालमुकुन्द
ग्राम मनेपुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड
8– महिला त्रिवेणी फोत वारिस
अ– मुन्नीलाल ब– सुबोध स– हरेन्द्र
तीनों पुत्रगण रामलखन
स– लाला पुत्र रामलखन सभी निवासी
ग्राम अजवपुर पोस्ट उदीमोड़
जिला इटावा, उत्तरप्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 1 – 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त,चंबल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 113/02–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–10–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि पुरूषोत्तम एंव भागीरथ (अनावेदकगण के वावा Grand father) ने कानूनमाल की धारा 326 के तहत बॅशीधर, श्रीकृष्ण एंव बंशीधर के लड़कों के विरूद्व ग्राम भगतुआपुरा स्थित भूमि सर्वे नंबर 94 रकबा 1 वीघा 15 विसवा पर कब्जा दिलाये जाने का दिनांक 5-8-46 को नायव तहसीलदार टप्पा अटेर के यहां दावा लगाया। नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 5-8-46 पारित करके कब्जे दिलाने एंव मुचलके लिये जाने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्व अदालत बैंच प्रान्त ग्वालियर व ईसागढ़ में अपील कमांक 60/2003 कायम हुई जिसमें कानून माल की धारा 329 के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार नायव तहसीलदार को न होने उक्त आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः दावे के निराकरण हेतु तहसीलदार न्यायालय को सौंपा गया। तहसीलदार अटेर ने पक्षकारों की सुनवाई कर दिनांक 17-8-1963 को अनावेदकगण का दावा स्वीकार कर आवेदकगण को बेदखल कर वाद भूमि का कब्जा भागीरथ को दिलाया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर के न्यायालय में अपील हुई जो दिनांक 11-10-1971 को निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व द्वित्तीय अपील आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 29/71-72 अपील माल में पारित आदेश दिनांक 5-2-1972 से तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखा गया एंव अपील निरस्त हुई। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी कमांक 30(1) 72 प्रस्तुत होने पर आयुक्त का आदेश दिनांक 5-2-72 निरस्त किया गया तथा प्रकरण आयुक्त की ओर पुनः सुनवाई हेतु वापिस किया गया। अतिरिक्त आयुक्त ने आदेश दिनांक 28-5-76 पारित करके निचले सभी न्यायालयों के आदेश निरस्त किये तथा वाद बिन्दु कायम करके तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिये गये।

तहसीलदार सुरपुरा ने प्रकरण कमांक 5/1962-62 धारा 329 कानून माल में आदेश 20-6-2001 पारित किया तथा अनावेदकगण को कब्जा देने एंव आवेदकगण को बेदखल करने के

आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अटेर के समक्ष अपील कमांक 46/2000-01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 28-4-2003 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,चंबल संभाग,मुरैना के समक्ष अपील कमांक 113/02-03 प्रस्तत होने पर आदेश दिनांक 31-10-2003 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाय गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रत्यावर्तन आदेश अधीनस्थ न्यायालयों पर बन्धनकारी है जिसके कारण नायव तहसीलदार को प्रकरण में श्रवणाधिकार नहीं थे एंव अधिकारिता-विहीन आदेश की ओर एस0डी0ओ0, अपर आयुक्त ने ध्यान नहीं दिया है। यह सही है कि मामला तहसीलदार की ओर सुनवाई हेतु वापिस हुआ है किन्तु कानून माल में सुनवाई हेतु दी गई व्यवस्था के वाद मध्य प्रदेश भू राजस्व संहित, 1959 (प्रभावशील दिनांक 2-10-1959) के उपरांत संहिता की धारा 24 में किये गये सॅशोधन अनुसार समस्त स्थाई नायव तहसीलदारों को (जो विभागीय परीक्षायें उर्तीण हैं) तहसीलदार की शक्तियों से नवाजा गया है जिसके कारण नायव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त,चंबल संभाग,मुरैना ने प्रकरण कमांक 113/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-10-2003 से अधिकारिता विहीन नहीं माना है। आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में यह भी आपत्ति की कि अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने अपीलीय न्यायालय के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हुये बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी अटेर व्दारा प्रकरण कमांक 46/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-4-2003 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण की ओर से जो आपत्तियॉ बहस के दौरान की गई थी - अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने प्रत्येक आपत्ति पर

विचार कर विवेचना सहित आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष नजर नहीं आता है। वैसे भी तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,चंबल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 113/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-10-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर